प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 07.03.2025

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा एक स्नैचर गिरफ्तार व बरामदगी के दौरान पुलिस मुठभेड़ में घायल अवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा, 01 खोखा कारतूस, एक लूटा गया मोबाइल फोन व स्नेचिंग की गई चैन को बेचकर प्राप्त 3400/- रूपये बरामद।

दिनांक 06.03.2025 को थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 24.02.2025 को चौकी क्षेत्र सैक्टर 23 में महिला से जी0आर फार्म हाउस के पास से चैन स्नैचिंग करने वाला तथा चौकी क्षेत्र मधुबन बापूधाम से दिनांक 21.01.2025 को मटियाला कट से मोबाइल लूट करने वाला तथा थाना सिहानी गेट में एक महिला से ग्रान्ड पेन्टल बैन्कट के पास से चैन स्नैचिंग करने वाला अभियुक्त सोनू उर्फ सोनी वाल्मीकि उर्फ सोनू शाहपुरिया पुत्र राकेश निवासी शाहपुर थाना मुरादनगर हाल पता – ब्रजनगरी नन्दग्राम थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष को मैनापुर रोड से गिरफ्तार किया था, जिसने पूछताछ करने पर बरामदगी हेतु अभियुक्त के बताये गये स्थान पर ले जाने के दौरान अभियुक्त सोनू उपरोक्त द्वारा पहले से छिपा रखे तमंचे से पुलिस पार्टी पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। जिससे पुलिस टीम अपने आप को बचाते हुए आत्मरक्षार्थ व जवाबी कार्यवाही में बदमाश के बाए पैर में गोली लगी। जिससे स्नैचर घायल हो गया। जिसको घायल अवस्था में गिरफ्तार कर इलाज हेतु अस्पताल भेज दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त सोनू उर्फ सोनी वाल्मीकि उपरोक्त ने बताया कि वह अपने साथी सन्नी निवासी-कुर्सी गांव के साथ मिलकर अलग अलग वाहन बदलकर चैन स्नेचिंग व मोबाइल स्नेचिंग की घटनाओं को कारित करता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

सोनू उर्फ सोनी वाल्मीकी उर्फ सोनू शाहपुरिया पुत्र राकेश निवासी शाहपुर थाना मुरादनगर हाल पता – ब्रजनगरी नन्दग्राम थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण

1. 01 तमंचा, 01 खोखा कारतूस
2. एक लूटा गया मोबाइल फोन
3. स्नेचिंग की गई चैन को बेचकर प्राप्त 3400/- रूपये बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध लूट, स्नेचिंग आदि से संबंधित आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम।

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा वादिया के पति को हनी ट्रैप कर रेप के झूठे केस में फसाने व परिजन को डरा धमका कर 02 करोड रुपये की रंगदारी मांगने वाला वाँछित 01अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 06.03.2025 को थाना इंदिरापुरम पर वादिया द्वारा लिखित तहरीर दी और बताया कि पिंकी, अनुज कसाना व सोनू कसाना द्वारा साजिश कर वादिया के पति को हनी ट्रैप कर झूठे रेप के झूठे केस में फसाने व परिजन को डरा धमका कर व 02 करोड रुपये की रंगदारी मांगने के सम्बन्ध में थाना इन्दिरापुरम पर धारा 308(6) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कराया गया।

घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए दिनांक 06.03.2025 को उक्त घटना में संलिप्त अभियुक्त अनुज कसाना पुत्र बिजेन्द्र सिंह निवासी शकलपुरा थाना लोनी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष को घटना के सम्बन्ध मे थाना इन्दिरापुरम पर की गयी पूछताछ व वादी द्वारा दिये गये आडियो रिकार्डिंग में 02 करोड रुपये की रंगदारी मे संलिप्तता पाये जाने पर अभियुक्त अनुज कसाना को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। अन्य अभियुक्त / अभियुक्ता की गिरफ्तार हेतु टीमे गठित कर लगाता प्रयास जारी है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अनुज कसाना व सोनू कसाना के द्वार प्रतिवादी पक्ष की रुचि गुप्ता के बेटे व भतीजे को अपने घर पर बुलाकर इनसे मुकदमे में झूठा फसाने की धमकी दी गई तथा मुकदमें में सुलह समझौता करने को धमकी देते हुए लगभग 02 करोड रुपयो की मांग की गई जिसके सम्बन्ध में आडियो साक्ष्य भी उपलब्ध है। अभियुक्त अनुज कसाना व सोनू कसाना लगातार ही प्रतिवादी पक्ष से फोन के जरिए रहे संपर्क में थे जिसकी पुष्टि भी हुई। अनुज कसाना व सोनू कसाना ये दोनो ही लोग लगातार जो 16.02.2025 को मुकदमा लिखा गया था उसकी वादिया से भी सम्पर्क में रहे है। जिसमें आज अनुज कसाना को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अनुज कसाना पुत्र बिजेन्द्र सिंह निवासी शकलपुरा थाना लोनी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब करीब 29 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

- गिरफ्तार अभियुक्त अनुज कसाना के विरुद्ध थाना आनन्द विहार दिल्ली मे अपहृण का 01 अभियोग व थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद में आर्म्स एक्ट व गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत 03 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना का 24 घंटे के अंदर अनावरण कर हत्या मे शामिल अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 06.03.2025 को थाना इंदिरापुरम पर वादिया निवासी लोकप्रिय विहार खोडा कॉलोनी जनपदगाजियाबाद द्वारा उनके पति मौ0 जलाल की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ग्रीन पार्क प्रथम इन्दिरापुरम मे हत्या करने के सम्बन्ध मे अभियोग पंजीकृत कराया गया।

घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीमे घटित की गयी जिनके अथक प्रयासो से तथा मुखबिर की सूचना के आधार पर व घटनास्थल व आसपास तथा अन्य प्राप्त साक्ष्यो के आधार पर हत्या की घटना कारित करने वाला अभियुक्त मौ0 इबादत उर्फ इब्बे पुत्र मौ0 सुलेमान निवासी म0नं0 741 लोकप्रिय विहार खोडा कॉलोनी नूरानी मस्जिद के पास जनपद गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम जहांगीरपुर वैसी थाना रंगरा जिला भागलपुर बिहार उम्र करीब 55 वर्ष को गौर ग्रीन चौराहे से आज दिनांक 07.03.25 को गिरफ्तार करते हुये अभियुक्त की निशानदेही पर घटनास्थल के निकट से हत्या मे प्रयुक्त आलाकत्ल एक रक्तरंजित पत्थर बरामद किया गया।

पूछताछ का विवरणः गिरफ्तार अभियुक्त मो0 इबादत उर्फ इब्बे उपरोक्त ने मृतक मो0 जलाल की हत्या के सम्बन्ध में बताया कि मो0 जलाल करीब 08 माह से अपनी पत्नी सहित मेरे मकान मे किराये पर रह रहा था। उसी दौरान मेरा मृतक की पत्नी से प्रेम सम्बन्ध हो गये जिसकी जानकारी मृतक को हो गयी थी और मृतक की पत्नी ने मुझसे बातचीत करना बन्द कर दिया था और मेरे द्वारा कुछ दिन पूर्व अपने मकान का किराया मांगने पर भी मृतक जलाल ने मेरे साथ अपमानजनक भाषा व इशारे का प्रयोग किया था इसी बात को लेकर मैने जलाल को रास्ते से हटाने का मन बना लिया था और दिनांक 05.03.25 को पान खिलाने के बहाने घर से ले जाकर मृतक जलाल को घटनास्थल पर बैठाकर शराब पिलाकर मौका देखकर पीछे से पत्थर से उसके सर पर वार कर उसकी हत्या कर दी थी और पत्थर को छिपाकर मै अपने घर आ गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

- मो0 इबादत उर्फ इब्बे पुत्र मौ0 सुलेमान निवासी म0नं0 741 लोकप्रिय विहार खोडा कालोनी नूरानी मस्जिद के पास गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम जहांगीरपुर वैसी थाना रंगरा जिला भागलपुर बिहार उम्र करीब 55 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त मो0 इबादत उर्फ इब्बे के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर हत्या का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

- हत्या मे प्रयुक्त आलाकत्ल एक रक्तरंजित पत्थर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।